भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3934

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः गुजरात और कर्नाटक में खरीदी गई मूंगफली की मात्रा

3934. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमाः
श्री जशुभाई भिसुभाई राठवाः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात और कर्नाटक में बढ़ाई गई अवधि के दौरान खरीदी गई मूंगफली की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) खरीद में वृद्धि का इन राज्यों में मूंगफली के बाजार मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा बढ़ी हुई इस अवधि के दौरान छोटे और सीमांत किसानों की सहायता प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): गुजरात और कर्नाटक में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत विस्तारित अवधि के दौरान खरीफ 2024-25 सीजन के लिए खरीदी गई मूंगफली की मात्रा और लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	राज्य	विस्तारित अवधि	खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	लाभान्वित किसान
1.	गुजरात	दिनांक 09.02.2025 से 14.02.2025	25,837.00	7,517
2.	कर्नाटक	दिनांक 10.02.2025 से 15.02.2025	1,407.07	1,650

(ख) और (ग): पीएसएस के तहत समग्र बाजार प्रभाव एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के खरीद संचालन के आयोजन में सरकार के हस्तक्षेप पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। पीएसएस के तहत किसान खरीद केंद्र पर प्रतिदिन अधिकतम 40 क्विंटल अपनी उपज बेच सकता है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करना है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के ई-समृद्धि पोर्टल और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के ई-संयुक्ति पोर्टल और राज्य के पोर्टल जैसे पोर्टलों पर आधार आधारित पंजीकरण के लिए एक प्रणाली कार्यान्वित की गई है। किसानों को सरकार की केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा किए जाने वाले खरीद अभियान के बारे में जागरूक करने के लिए एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाता है। किसानों को भुगतान, खरीद एजेंसी द्वारा वास्तविक डिलीवरी के तीन दिनों के भीतर आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में जारी किया जा रहा है।

*****